


14.5  
25

पत्रावली पेश। वकील प्राथी  
टापिर। वकील प्राथी को पूर्व  
में अंतिम हिदायत दी गयी थी  
कि आगामी पेशी पर तामिल  
ही रशीदे पेश करे अन्यथा  
आदेश 3 नियम 5 के तहत  
आदेश पारित किया जायेगा।  
लेकिन आज दिनांक तक तामिल  
की रशीदे पेश नहीं। अतः  
प्राथी का आवेदन 212 RTI  
आदेश 3 नियम 5 के तहत  
स्वार्थित किया जाता है पत्रावली  
फैसल कुमार होकर नम्बर से  
कम होकर दाखिल दफ्तर हो

  
उपचण्ड अधिकारी  
बतारामगढ़ (सीकर)